न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)
**अपील संख्याः– 12/83/2018**

| | |
|---|---|
| अपीलार्थीः– | प्रत्यर्थीः– |
| **श्री कशमीर सिंह पत्रकार ग्राम शाहबाद (पलडिया) पोस्ट शाहबाद तह0 तिजारा, जिला अलवर।** | **लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन जिला रसद अधिकारी, अलवर** |

**अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**—:: निर्णय ::—** **दिनांकः– 17.07.2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 14.03.2018 के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूओं पर बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की है।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 10.07..2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
   पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वांछित बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध नही कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है।
5. प्रायः यह देखने में आया है कि जिला रसद अधिकारी के विरूद्व पेश होने वाली अपीलों में नोटिस जारी करने के पश्चात् उनके यहॉ से ना ही कोई प्रतिनिधि उपस्थित होता है और ना ही नोटिस का जबाव प्राप्त होता है, नोटिस का जबाव प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलें स्वीकार करनी पडती है। न्यायालय द्वारा पूर्व में भी कई अपीलों के निर्णय में जिला रसद अधिकारी अलवर को उक्त बाबत प्रभावी कार्यवाही करने हेतु आदेशित किये जाने के उपरान्त भी पालना सुनिश्चित नही की जा रही है। जो दिये गये निर्देशों की अवलेहना के श्रेणी में आता है। इस संबंध में उचित कार्यवाही करने हेतु पारित निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी स्थापना प्रकोष्ठ कलैक्ट्रेट अलवर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि जिला रसद अधिकारी अलवर से इस संबंध में स्पस्टीकरण प्राप्त किया जावें।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर,अलवर
जिला कलक्टर
अलवर (राज0)